संख्या-98/2022/।/200217/2022/001-71-2002-002-2-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2022

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त् किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सीबीएमआर/एफ एण्ड ओ/2022-23/16/43 दिनांक 24 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेण्टर के गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 45/2022/1/158112/2022/001-71-2002-002-7-2021, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 128.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष-2210-05-105-03-0312- सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 128.33 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठाइस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, सी0बी0एम0आर0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तींय अनियमितता मानी जाएगी।
4. सेन्टर के निदेशक एवं संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा एवं पूर्व में निर्गत धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्यान-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. धनराशि को कोषागार से सेण्टर के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,28,33,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-148/दस-2022-23, दिनांक-04 अगस्त, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-98/2022/।/200217/2022/001-71-2002-002-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन सेल, चिकित्सा/ शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in